

# झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, का उपक्रम)  
प्रथम तल, कल्याण कॉम्प्लेक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, राँची-834008

## अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवश्यक सूचना

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राँची के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के सहयोग से सावधि ऋण योजना के तहत सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु दिनांक **25.09.2019 तक** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और निम्न वर्णित अर्हताएँ रखते हैं वे निगम कार्यालय के पते पर अपना आवेदन स्पीड पोस्ट, निबंधित डाक अथवा सीधे निगम कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप [यहाँ](#) डाउनलोड कर सकते हैं अथवा निगम कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

क्र०सं०	योजना का नाम	अनुमान्य योजना की इकाई लागत	ब्याज दर (वार्षिक)	पुनर्भुगतान की अवधि
1.	सावधि ऋण ; जमात स्वदत्त	10 (दस) लाख रुपये तक।	6:	5 वर्ष

### योजना के लिए अर्हताएँ

- आवेदक झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी तथा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध एवं पारसी) का होना चाहिए।
- आवेदकों द्वारा कुल योजना लागत का 10: स्वयं वहन/उपलब्ध कराना होगा एवं स्वीकृति से पूर्व बैंक खाता में समरूप राशि उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक ही अनुमान्य होगा।
- आवेदक सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में न हों।
- आवेदक किसी प्रकार का कोई सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान से ऋण/अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया हो और वे किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर न हो इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- आवेदक का पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98,000/- रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 1,20,000/- रुपये से अधिक न हो।
- आवेदक को आय/आवासीय प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति, योजना प्रस्ताव तथा हाल का खींचा हुआ दो पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से देना होगा।
- योजना से संबंधित कार्यानुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र।
- वाहन के आवेदकों के लिए कम-से-कम 1 (एक) वर्ष पहले का बना हुआ व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगी।
- आवेदक को 50,000/- रुपये तक की राशि के ऋण के लिए गारण्टर की आवश्यकता नहीं है। 50,000/- रुपये से उपर एवं 2,50,000/- रुपये तक की योजनाओं हेतु एक गारण्टर जो सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र/बैंक/सरकार के अधीन बीमा कम्पनी कर्मी हो तथा जिनकी सेवा कम-से-कम 5 वर्ष बची हुई हो अथवा उतनी राशि का विक्रयशील अचल सम्पत्ति गारण्टी के रूप में देना आवश्यक है। 2,50,000/- रुपये से अधिक की योजनाओं हेतु दो गारण्टर जो सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र/बैंक/सरकार के अधीन बीमा कम्पनी कर्मी हो तथा जिनकी सेवा कम-से-कम 5 वर्ष बची हुई हो अथवा उतनी राशि का विक्रयशील अचल सम्पत्ति को गारण्टी के रूप में देनी आवश्यक होगी।
- प्राप्त आवेदनों की निगम द्वारा जाँच की जाएगी एवं जाँच का फलाफल सभी आवेदकों को मान्य होगा।
- आवेदन निम्न पते पर भेज सकते हैं अथवा सीधे जमा कर सकते हैं :-

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम  
प्रथम तल, कल्याण कॉम्प्लेक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, राँची-834008  
फोन-0651 2552055, ई-मेल: रेउकिबपतंदबीप/हउपसण्ववउ

ह०/—  
प्रबंध निदेशक



# झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

प्रथम तल, कल्याण कॉम्प्लेक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, राँची-834008

फोन-0651 2552055, ई-मेल: jsmfdc.ranchi@gmail.com

आवेदन का संख्या

(आवेदक का फोटो)

नाम : श्री/कुमारी/श्रीमती .....

पिता / पति का नाम : .....

माता का नाम : .....

पता :-

ग्राम	
पोस्ट	
प्रखण्ड	
जिला	
राज्य	पिनकोड :

मोबाईल नंबर

अन्य फोन नंबर

जन्म तिथि

आयु : \_\_\_ वर्ष लिंग : पुरुष  महिला

पहचान दस्तावेज :-

फोटो पहचान पत्र : ( ) पेनकार्ड ( ) ड्रायविंग लाईसेंस ( ) आधार ( ) मतदाता पचिय-पत्र ( ) अन्य ( )

फोटो पहचान पत्र संख्या :

आवासीय पता से संबंधित कागजात : ( ) बिजली का बिल ( ) टेलीफोन बिल ( ) राशन कार्ड ( ) अन्य ( )

वैवाहिक स्थिति : ( ) विवाहित ( ) अविवाहित ( ) विधवा ( ) तलाकशुदा

समूदाय : ( ) मुस्लिम ( ) ईसाई ( ) सिख ( ) जैन ( ) अन्य .....

जाति : ( ) सामान्य ( ) ओबीसी ( ) एसी ( ) एसटी ( ) अन्य .....

परिवार के सदस्यों का विवरण :-

क्रम संख्या	नाम	रिश्ता	आयु (वर्ष)	कार्यरत/ अकार्यरत	दैनिक आय	वार्षिक आय
1						
2						
3						
4						
5						
कुल पारिवारिक वार्षिक आय						

